न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 13 / 2018 (राजसमन्द डिक्री)

धनराज उर्फ धन्नालाल दत्तक पुत्र गुलाब जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द हाल निवासी 7, 8, शान्तानगर सूरत बमरोली रोड़, सूरत सिटी पाण्डेसरा, सूरत (गुजरात)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नारू पिता पन्ना जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हेमराज पिता काना जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. भैरूलाल पिता काना जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. केसू पिता काना जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. धर्मचन्द पिता काना जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. पुखराज पिता त्रिलोक जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. जेठमल पिता त्रिलोक जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
8. बाबूलाल पिता त्रिलोक जी कलाल, निवासी कलालो की आंती, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दिनांक

दिनांक 20.06.2016, प्र. सं. 18/15

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री मदनसिंह चौहान अभि. र.सं. 1 से 8

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

11–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88 एवं 188 राजस्थान का"तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजी नंबर 709/250 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम कलालों की आंती में स्थित होकर मौके पर चार हिस्सों में बंटवाड़ा हो रखा है। पक्षकारान के सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष पन्ना जी के चार पुत्र गुलाब, काना, त्रिलोक व नारू हुए। गुलाब की मृत्यु हो चुकी है, जिसका दत्तक पुत्र धन्ना है। काना के चार पुत्र हेमराज, भैरूलाल, केसू व धर्मचन्द है। त्रिलोक के तीन पुत्र पुखराज, जेठमल व बाबूलाल है तथा नारू जीवित होकर वादी है। प्रतिवादीगण ने पूर्वजों के संयुक्त पैसों से उक्त आराजी कय की, किन्तु गुलाब बड़ा भाई होने से रजिस्ट्रो उसके नाम करा दी, जबकि चारों भाई शामिल रहते थे व चारों से पैसा खर्च कर जमीन पर काबिज हैं, किन्तु गुलाब जी के मन में फर्क आ जाने से भूमियों की रजिस्ट्री अपने दत्तक पुत्र धन्नालाल के नाम करवा दी, जबकि विवादित भूमि के 1/4, 1/4 हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज हैं। अतः वादग्रस्त आराजी नंबर 747/568 रकबा 5 बीघा भूमि में वादी को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा विशेष उत्तर में निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 747/568 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि गुलाब जी को आवंटित हुई थी एवं उनक द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 धन्नालाल को रजिस्टर्ड विकय कर दिया गया, तब से प्रतिवादी संख्या 1 धन्नालाल उक्त भूमि का मालिक काबिज है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। अतएवं वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दिनांक दिनांक 20–06–2016 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील दिनांक 28–02–2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12–05–2016 को पेशी दी गयी थी, किन्तु पत्रावली न्यायालय के समक्ष पेश ही नहीं हुई, न ही उक्त दिनांक की कोई फर्द अहकाम लिखी गयी है। अचानक दिनांक 20–06–2016 को पत्रावली कैम्प में रखकर अपीलान्ट की तामील नहीं होते हुए भी तामील मानकर एकतरफा निर्णय कर दिया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 19–02–2018 को पटवारी साहब से मिलने पर हुई। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 12–05–2016 को पेशी नियत थी, किन्तु इसके स्थान दिनांक 20–06–2016 को पत्रावली कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलान्ट को दिये जाने की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उनके जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2064 से

2067, नामान्तरकरण संख्या 108, हेमराज के जवाबदावे की प्रति तथा राजस्व नक्शे की प्रति प्रस्तुत की गयी तथा उन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हेमराज द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे को छोड़कर शेष सभी दस्तोवजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित अथवा मूल प्रतियां हैं, जिनक फर्जी अथवा बनावटी होने की कोई संभावना नहीं है। अतः न्यायहित में आदेश 41 नियम 27 जा. दी. का आवेदन स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर वकील श्री मदनसिंह चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि कथित जमीन के एक मात्र मालिक स्वामी गुलाब जी होकर उनके द्वारा अपीलान्ट को विकय की गयी है, तब से अपीलान्ट उक्त भूमि का मालिक काबिज है, फिर भी बिना उसकी तामील कराये नियत पेशी दिनांक से अलग जाकर अन्य दिनांक को अपीलान्ट की तामील मानते हुए वाद डिकी कर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने न्यायिक नजीरें आर. आर.टी. 2018 (2) पेज 864, आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 566, आर.आर.डी. 2001 पेज 175, आर.बी.जे. 2002 पेज 634, आर. बी.जे. 2001 पेज 291, आर.बी.जे. 2001 पेज 395, आर.एल.डब्ल्यू. 2004 (1) सुप्रिम कोर्ट पेज 31, आर.बी.जे. 1999 पेज 193, आर.बी. जे. 2014 पेज 642 व सी.एल.टी. 2003 (1) सुप्रिम कोर्ट पेज 120 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 12–05–2016 को पेशी नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक को पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश ही नहीं हुई, न ही उक्त दिनांक की कोई फर्द अहकाम लिखी गयी है तथा बिना किसी सूचना के अचानक दिनांक 20–06–2016 को पत्रावली कैम्प में रख दी गयी, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–06–2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि के आलोक में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

विनोदसिंह पिता स्व. लक्ष्मणसिंह रावत जी रावत
निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, (खजेडिया), तह0 छापली, तह.भीम, जि.राजसमन्द व अन्य

बनाम

रोडसिंह पिता देवीसिंह
निवासी छापली भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....11 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....24.....माह.....05..... ..2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....14.....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... ..पक्षकारान

व हाजरी...श्री मदनसिंह चौहान ....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री भंवरसिंह चौहान

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया ।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।